

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली (110001)।

संख्या-104-8 /33-14 (2024-25) दिनांक 18 दिसम्बर, 2024
विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-1318/2024 विराट सौरभ
भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-1318/2024 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2024 के क्रम में मंदाकिनी नदी के पास अवैध रूप से ठोस अपशिष्ट डम्प किये जाने पर नदी के पानी व प्रदूषण को नुकसान होने संबंधी प्रकरण में गठित समिति/नामित सदस्यों द्वारा संबंधित स्थल का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 को किया गया। अधोहस्ताक्षरी की ओर से उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ स्थलीय निरीक्षण में उपस्थित हुए।

उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ द्वारा अपने पत्र संख्या-96/वै0सहा0-जांच आख्या/2024-25 दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 के द्वारा उपरोक्त प्रकरण से संबंधित संयुक्त निरीक्षण आख्या प्रस्तुत की गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ द्वारा उपलब्ध करायी गयी संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,


(सौरभ गहर्ष्वार)

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि:- श्री अमित पोखरियाल, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

१११०-१६७ (E.F.K.P. 13)
१७-१२-२४ 6

O.C./M.C.
16-12-2024

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ।

पत्रांक- 96 / वै०सहा०-जांच आख्या/2024-25
सेवा में,

दिनांक 13, दिसम्बर 2024

जिलाधिकारी महोदय,
रुद्रप्रयाग।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-1318/2024 नदी के पानी व प्रदूषण को नुकसान होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि, मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या-1318/2024 विराट सौरम भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2024 के द्वारा शिकायतकर्ता श्री विराट सौरम भट्ट की शिकायत मन्दाकिनी नदी के पास अवैध रूप से ठोस अपशिष्ट डम्प किये जाने पर नदी के पानी को नुकसान होने सम्बन्धी शिकायत के सम्बन्ध में जांच हेतु जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या-923/33-14(2024-25) दिनांक 10 दिसम्बर 2024 के क्रम में अवगत कराना है कि, दिनांक 12 दिसम्बर 2024 को गठित समिति के द्वारा नगर पंचायत ऊखीमठ के प्रश्नगत स्थल पर जांच कर आख्या व फोटोग्राफ संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,
13/12/24
(अनिल कुमार शुक्ला)
उप जिलाधिकारी,
ऊखीमठ।

संयुक्त निरीक्षण आख्या

मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-1318/2024 विराट सौरभ भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29/11/2024 के द्वारा शिकायत कर्ता श्री विराट सौरभ भट्ट की शिकायत मन्दाकिनी नदी के पास अवैध रूप से ठोस अपशिष्ट डम्प किये जाने पर नदी के पानी को नुकसान होने सम्बन्धी शिकायत के सम्बन्ध में जाँच हेतु जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या-923/33-14(2024-25) दिनांक 10 दिसम्बर 2024 के माध्यम से निम्नवत् संयुक्त टीम का गठन किया गया।

- 1-उपजिलाधिकारी ऊखीमठ
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
- 3-अधिशाली अधिकारी नगर पंचायत

जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के उक्तांकित पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त गठित समिति द्वारा आज दिनांक 12 दिसम्बर 2024 को विषयगत स्थल का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रही।

- 1-उपजिलाधिकारी ऊखीमठ।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
- 3-अधिशाली अधिकारी नगर पंचायत।
- 4-सहायक बैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
- 5-हिमांशु पुरोहित पर्यावरण पर्यवेक्षक नगर पंचायत ऊखीमठ।
- 6-अजय कुमार लेखा लिपिक नगर पंचायत ऊखीमठ।

निरीक्षण के समय की उपस्थिति का विवरण संलग्न है-

संलग्नक-1

विषयगत प्रकरण/स्थल से सम्बन्धित स्थलीय निरीक्षण आख्या निम्नवत् है।
स्थलीय निरीक्षण के दौरान अधिशाली अधिकारी नगर पंचायत ऊखीमठ द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार नगर पंचायत ऊखीमठ द्वारा नगरीय क्षेत्र से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की मात्रा लगभग 01 टन प्रतिदिन है।

संलग्नक-2

उक्त ठोस अपशिष्ट निस्तारण हेतु नगर पंचायत ऊखीमठ द्वारा एम0आर0एफ0 सेन्टर की स्थापना वर्ष-2021-22 की गई है।

संलग्नक-3

एम0आर0एफ0 सेन्टर पर नगर पंचायत क्षेत्र से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट का पृथकीकरण किया जा रहा है एवं अजैविक अपशिष्ट को कॉम्पैक्टर के माध्यम से कम्पैक्ट कर प्लास्टिक रिसाईकिलिंग हेतु दिया जा रहा है। जिसका विवरण संलग्न है।

संलग्नक-4

जैविक कूड़े को कम्पोस्ट किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त वर्तमान में नगर पंचायत द्वारा जैविक अपशिष्ट से कम्पोस्ट बनाने के लिये कम्पोस्ट ड्रायर मशीन क्रय की गयी है।

संलग्नक-5


स्थलीय निरीक्षण के दौरान अधिशाली अधिकारी नगर पंचायत ऊखीमठ द्वारा अवगत कराया गया है कि ऊखीमठ मनसूना रोड़ चारी तोक में वर्तमान में ठोस अपशिष्ट का निस्तारण नहीं किया जा रहा है एवं पूर्व में एकत्रित अपशिष्ट को एकत्रित कर एम0आर0एफ0 सेन्टर में पृथकीकरण कर निस्तारण किया गया है। जिसकी पुष्टी निरीक्षण के दौरान भी की गई है।

मौका निरीक्षण एवं अधिशाली अधिकारी, नगर पंचायत ऊखीमठ द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार शिकायती स्थल पर वर्तमान में कोई ठोस अपशिष्ट नहीं पाया गया। प्रश्नगत



स्थल पर निरीक्षण के दौरान कोई दुर्गन्ध समस्या नहीं पायी गई है एवं नगर पंचायत ऊखीमठ द्वारा प्रश्नगत स्थल पर सड़क मार्ग की ओर टीन सीट लगायी गई हैं, साथ ही नगर पंचायत द्वारा उक्त स्थल पर चेतावनी बोर्ड लगाये गये हैं कि, उक्त स्थल पर कोई ठोस अपशिष्ट न डाला जाय यदि कोई डालते हुये पाये जाने पर अर्थदण्ड लगाया जायेगा। नगर पंचायत द्वारा उक्त स्थल पर वृक्षारोपण किया गया है। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ संलग्न हैं। संलग्नक-6


अतः उपरोक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


(सुनील वर्मा)


अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत ऊखीमठ


(एस0एस0 चौहान)

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
यू0के0पी0सी0बी0 देहरादून।


(अमित पोखरियाल)

क्षेत्रीय अधिकारी,
यू0के0पी0सी0बी0 देहरादून।


(अनिल कुमार शुक्ला)

उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ।

मा0 एन0जी0टी0 में योजित O.A.N0.-1318/2024 Virat Sourabh Bhatt Vs State Of Uttarakhand एवं जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या 923/33-14 (2024-25) दिनांक 10 दिसम्बर 2024 के सम्बन्ध में दिनांक 12 दिसम्बर 2024 को गठित समिति की उपस्थिति निम्नवत है-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	मो0नं0	हस्ताक्षर
01	अनिल कुमार शुक्ला	उप जिलाधिकारी तहसील मन्थली	9412936952	
02	अमित पौरवियाल	दो-त्रीय सहायक प्र. के. पी. सी. ए.	9837156720	
03	शरद शर्मा चौहान	हिलेट मैकेनिकल प्र. के. पी. सी. ए.	9719034547	
04	सुनील वर्मा	अधिसाक्षी अधिकारी नगर पंचायत मन्थली	7983122881	
05	हिमांशु पुरोहित	पंचायत पंचेनस नगर पंचायत मन्थली	7906894579	हिमांशु
06	अजय कुमार	लेखा जिरिक नगर पंचायत मन्थली	8126963483	
07	Ashish Rana	(नि.) - सहायक अधिकारी	8477995408	
08				

Month - 1 September - 30 September, 2024

जिले का नाम - रुद्रप्रयाग।

निकाय का नाम - नगर पंचायत ऊखीमठ।

एंटी लिटरिंग एंड एंटी स्पिटिंग एक्ट - 2016

The Anti Littering & Anti Spitting Act, 2016 के तहत सितम्बर माह में काटे गये कुल चालानों की संख्या।	"The Anti Littering & Anti Spitting Act, 2016" के तहत सितम्बर में वसूल किया गया कुल जुर्माना (रूपये में)।
01	100.00

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम - 2016

50 माइक्राने से कम के नॉन-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग / प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग, विक्री और भंडारण पर प्रतिबंध की तारीख।	"Plastic Waste Management Rules, 2016" के तहत सितम्बर माह में काटे गये कुल चालानों की संख्या।	"Plastic Waste Management Rules, 2016" के तहत सितम्बर माह में वसूल किया गया कुल जुर्माना (रूपये में)।
19/02/2016	00	00.00

प्लास्टिक कम्पेक्टर

निकाय में कुल प्लास्टिक कम्पेक्टर की संख्या।	सितम्बर माह में कुल कम्पेक्ट किये गये प्लास्टिक की मात्रा (टन) में।	सितम्बर माह में कम्पेक्ट किये गये प्लास्टिक को विक्रय कर अर्जित आय (रूपये में)।	प्लास्टिक कम्पेक्टर से अतिथि तक कुल अर्जित आय (रूपये में)।
01	0.56	3340.00	68726.00

बल्क वेस्ट जनरेटर

निकाय में कुल बल्क वेस्ट जनरेटर्स की संख्या।	ऑन साइट कम्पोस्टिंग करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर्स की संख्या।
0	0

निकाय में कुल सरकारी कॉलोनी की संख्या।	ऑन साइट कम्पोस्टिंग करने वाली सरकारी कॉलोनी की संख्या।
5	0

नॉन बल्क वेस्ट जनरेटर (ऑन साइट कम्पोस्टिंग)

नोट - कुल घरों के 4% घरों में होम कम्पोस्टिंग करना लक्षित है।	
निकाय में कुल घरों की संख्या।	796
ऑन साइट कम्पोस्टिंग की शुरुआत करने वाले घरों की संख्या।	309
निकाय में दुकान और अन्य अपशिष्ट उत्पादकों की संख्या।	241
ऑन साइट कम्पोस्टिंग की शुरुआत करने वाली दुकान और अन्य अपशिष्ट उत्पादकों की संख्या।	6


 सहायक नगर पंचायत
 नगर पंचायत ऊखीमठ

*नॉन बल्क वेस्ट जनरेटर - ऐसे अपशिष्ट उत्पादक जो प्रतिदिन 100kg / Day अथवा निकाय द्वारा निर्धारित सीमा से कम ठोस अपशिष्ट उत्पादित करते हों। जैसे-जूस वाला , फल एवं सब्जी विक्रेता / छोटे होटल / धर्मशाला / रेस्टोरेंट आदि।

बिन फ्री सिटी

नोट -प्रत्येक निकाय/वार्ड को बिन फ्री सिटी किया जाना है।	
निकाय बिन फ्री सिटी है। (हाँ / नहीं)	हाँ
यदि हाँ, निकाय के बिन फ्री सिटी होने की तारीख।	1 अप्रैल 2018 से

*बिन फ्री सिटी /वार्ड - ऐसे निकाय /वार्ड को बिन फ्री सिटी कहा जायेगा जहां 100 लीटर की क्षमता से अधिक वाले कूड़े दान शहर/वार्ड से हटा दिये गये हो तथा बाजार क्षेत्र, पार्क, बस स्टैण्ड आदि में 100 लीटर से कम क्षमता वाले बिन लगाये गये हो।

सामग्री पुनःप्राप्ति सुविधा (एम आर एफ)

निकाय में स्थापित कुल MRF* (Materials Recovery Facility) सेंटरों की संख्या।	1
सितम्बर माह में कुल कितने रिसाइक्लेवल अपशिष्ट को अलग किया गया है। (टन में)	0.89
सितम्बर माह में रिसाइक्लेवल अपशिष्ट को विक्रय कर कुल अर्जित आय। (रूपये में) (न ट- प्लास्टिक कम्पेक्टर से अर्जित आय को छोड़ कर)	5020

*Note- सामग्री पुनःप्राप्ति सुविधा (एम आर एफ) - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम -2016 के नियम-2, बिन्दु -31 में वाणिज्यिक परिभाषा के अनुसार निकाय अथवा निकाय द्वारा अधिकृत किसी संस्था/व्यक्ति द्वारा अनौपचारिक क्षेत्र के वेस्ट पिकर/रैग पिकर को सम्मिलित कर रिसाइक्लेवल अपशिष्ट को एकत्र करने, छांटने, मूल्य संवर्धित करने तथा बेचने का स्थान।

गीले कूड़े से कम्पोस्ट (खाद)

सितम्बर माह में गीले कूड़े से बनायी गयी कुल कम्पोस्ट की मात्रा (टन में)।	0.51
सितम्बर माह में कम्पोस्ट को विक्रय कर कुल अर्जित आय (रूपये में)।	0
कम्पोस्ट के अन्यत्र उपयोग का विवरण (*Note- जिन निकायों ने कम्पोस्ट से कोई आय अर्जित नहीं की है।)	निकाय के द्वारा स्वयं के द्वारा गीले कचरे से बनाई गई कम्पोस्ट का प्रयोग स्वयं के बगीचे/खेतों आदि में किया जाता है।


हाथिवासी क्षयिकवासी
 नगर पंचायत कस्बामठ
 जिला अजमेर

Septage Management Cell (SMC) और Sanitation Response Unit (SRU) के सम्बन्ध में।

27.	निकाय में SMC का गठन किया गया है। (हाँ/नहीं)	नहीं
नोट-यदि हाँ, तो SMC के सदस्यों की सूची नाम / पदनाम सहित उपलब्ध कराये।		
28.	क्या SMC को SRU हेतु भी नामित किया गया है। (हाँ/नहीं)	-
नोट-		
<ul style="list-style-type: none"> • यदि हाँ तो आदेश की प्रति नाम/पदनाम सहित उपलब्ध कराये। • यदि नहीं तो SMC को SRU का कार्य सौंपते हुये कार्यालय आदेश जारी करे तथा सदस्यों की सूची सहित प्रति निदेशालय को उपलब्ध कराये। 		

***Note-**

Septage Management Cell (SMC) - SMC का कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ निकाय के अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा FSSM से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करना और Non & Complying Actors पर पेनल्टी लगाना हैं जैसा कि उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकॉल 2017 में उल्लिखित है।

Sanitation Response Unit (SRU) - मैनुअल स्कर्वेजिंग प्रतिबन्ध तथा उनके पुनर्वास एक्ट - 2013 (The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013) तथा प्रस्तावित एमेंडमेंट एक्ट के अनुपालन के क्रम में सीवर सफाई तथा सेप्टेज संबंधी समस्त कार्यों को मशीन आधारित करने को बढ़ावा देने, सीवर सफाई संबंधित दुर्घटनाओं में मानव क्षति को शून्य किए जाने हेतु Sanitation Response Unit (SRU) को नियुक्त किया जाना है।


 (सुनील वर्मा)
 अधिशासी अधिकारी,
 नगर पंचायत ऊखीमठ।

ECHE

बोर्ड बैठक

आज दिनांक ... को नगर प्रशासन कार्यालय में
आ.अ.ए.ए. विभाग में श्री अ.अ.ए.ए. में श्री बोर्ड बैठक
का आयोजन किया गया बैठक में उपस्थित निम्नलिखित हैं।

- 1- श्री विजय सिंह (अ.अ.ए.)
- 2. श्रीमती पूजा (अ.अ.ए.1) *पूजा देवी*
- 3. श्रीमती मरुता (अ.अ.ए.2)
- 4. श्री प्रदीप सिंह (अ.अ.ए.3) *प्रदीप*
- 5. श्री रविन्द्र सिंह (अ.अ.ए.4) *Ravi*
- 6. श्री बाबन सेमवाल (अ.अ.ए.5) *राधिका*

पुस्तक 1. यह प्रथम बार अ.अ.ए.ए. को कोटा शहरी समुदायों
के संपर्क किया गया। तथा पूर्व में प्रस्तावों को परां गया
(नं. 1-10) पूर्ण को गयी एवं लक्ष्मी प्रदान की गयी।

पुस्तक 2. अ.अ.ए. में नए निर्माण कार्य पर नगर की शहरी एवं
निम्न प्रस्ताव दिए गए।

- 1. नगर प्रशासन अ.अ.ए.ए. के बु-नी मुहल्ले में बाबरी मालिक
विशाल सामुदायिक स्थान पर दिन को निर्माण व समुदाय के
पूजा देवी विभाग से, अन्य सामुदायिक आ.अ.ए.ए. निर्माण से संबंधित।
- 2. नगर प्रशासन अ.अ.ए.ए. के अ.अ.ए.ए. स्थित शिव मंदिर को
सं. अ.अ.ए.ए.ए. कार्य आ.अ.ए.ए. निर्माण से।
- 3. नगर प्रशासन अ.अ.ए.ए. के अ.अ.ए.ए. वार्ड 4 के अ.अ.ए.ए. वार्ड
में निर्माण कार्य अ.अ.ए.ए.ए. कार्य।
- 4. अ.अ.ए.ए. वार्ड 5 के अ.अ.ए.ए.ए. अ.अ.ए.ए. वार्ड 4 एवं अ.अ.ए.ए.ए.
निर्माण कार्य।
- 5. अ.अ.ए.ए.ए. वार्ड 3 के अ.अ.ए.ए.ए. वार्ड 3 के अ.अ.ए.ए.ए. कार्य एवं अ.अ.ए.ए.ए.
निर्माण कार्य।
- 6. अ.अ.ए.ए.ए. वार्ड 2 के अ.अ.ए.ए.ए. वार्ड 2 के अ.अ.ए.ए.ए. कार्य एवं अ.अ.ए.ए.ए.
निर्माण कार्य।
- 7. अ.अ.ए.ए.ए. वार्ड 3 के अ.अ.ए.ए.ए. वार्ड 3 के अ.अ.ए.ए.ए. कार्य एवं अ.अ.ए.ए.ए.
निर्माण कार्य।

33

50733

- 10. मंडल में वृद्धि तक बढ़ाया जाय।
- 11. मंडल वार्ड में पाखली लोक में पुलिया व कुत्ता भंडार को
- 12. मंडल वार्ड में लोक निराली को मंडल तक निर्माण कराय।
- 13. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।
- 14. मंडल वार्ड में प्रारम्भिक शिक्षा मंडल विद्यालय तक आकर्षक
- 15. मंडल वार्ड में वना पानी मंडल तक समीप मंडल में सुशुद्धित
- 16. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।
- 17. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।
- 18. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।
- 19. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।
- 20. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।
- 21. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।
- 22. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।
- 23. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।
- 24. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।
- 25. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।
- 26. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।
- 27. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।
- 28. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।
- 29. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।
- 30. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।

प्रस्ताव - मंडल लोक में मंडल व नाली निर्माण कराय।

37. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।

38. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।

39. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।

40. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।

41. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।

42. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।

43. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।

44. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।

45. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।

46. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।

47. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।

48. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।

49. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।

50. मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।

प्रस्ताव - मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।

मंडल वार्ड में मंडल व नाली निर्माण कराय।

Report

Handwritten signature

Handwritten signature

श्रीमती पूजा देवी
समापक वार्ड नं०
मंडल वार्ड नं० ५० अर्धीमठ

श्रीमती पूजा देवी
समापक वार्ड नं०
मंडल वार्ड नं० ५० अर्धीमठ

बोर्ड बैठक

मा0 बोर्ड दिनांक 05/01/2021 को नगर पंचायत कार्यालय में मा0 अध्यक्ष श्री विजय सिंह की अध्यक्षता में मा0 बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया बैठक में उपस्थिति निम्नवत् है।

1. श्री विजय सिंह (अध्यक्ष)
2. श्रीमती पूजा देवी (सदस्य)
3. श्रीतमी सरला देवी (सदस्य)
4. श्री प्रदीप सिंह (सदस्य)
5. श्री रविन्द्र सिंह (सदस्य)
6. श्री राजन सेमवाल (मनोनित सदस्य)

प्रस्ताव 01- सर्व प्रथम मा0 अध्यक्ष जी के द्वारा सभी सभासदों का धन्यवाद किया गया। तथा पूर्व में प्रस्तावों को पढा गया एवं उनकी पुष्टि की गयी एवं सहमति प्रदान की गयी।

- प्रस्ताव 02-** सदन में नये निर्माण कार्यों पर चर्चा की गयी एवं निम्न प्रस्ताव दिये गये।
1. नगर पंचायत ऊखीमठ के चुन्नी मुहल्ले में बारही मन्दिर स्थित सामुदायिक स्थान पर टिन शेड निर्माण व समुदाय के विकास हेतु अन्य सामाग्री मा0 विधायक निधि से स्वीकृत।
 2. नगर पंचायत ऊखीमठ के मंगोली स्थित शिव मन्दिर का सौन्दर्यीकरण कार्य मा0 विधायक निधि से।
 3. नगर पंचायत ऊखीमठ, के भट्टेश्वर वार्ड 04 के संसारी तोक में पैदल मार्ग सुधारीकरण कार्य।
 4. रौली देवी के घर से सामुदायिक भवन तक जल निकास नाली निर्माण कार्य।
 5. ओंकारेश्वर वार्ड 03 में मर्दना तोक में सुरक्षात्मक कार्य एवं सोर्स सेग्रिगेशन शेड निर्माण कार्य।
 6. उदयपुर वार्ड 02 में विभिन्न तोकों में सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य।
 7. ओंकारेश्वर वार्ड 03 में मध्यमहेश्वर स्याली से रा0इ0का0 मार्ग तक सम्पर्क मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।
 8. सड़क से तुर्शिल तक रैलिंग कार्य।
 9. भट्टेश्वर वार्ड 04 जाखणी तोक में पुलिया व मुख्य मोहल्ले में सोनवीर के घर से लो0नि0वि0 की सड़क तक निर्माण कार्य
 10. भटवाडी मुख्य मार्ग में टाइल्स व नाली निर्माण कार्य।
 11. मुख्य सड़क से सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालय तक सम्पर्क मार्ग निर्माण।
 12. भट्टेश्वर वार्ड 4 में दाना पानी लॉज के समीप गदरे में सुरक्षात्मक कार्य।
 13. सार्वजनिक शौचायल में टाइल्स/सौन्दर्यीकरण कार्य।
 14. सरादू लाल के गौशाला के समीप तिराहे से दिनेश लाल के घर तक टाइल्स निर्माण कार्य।
 15. ओंकारेश्वर वार्ड 03 में मस्तोली तोक में सामुदायिक शौचायल का सौन्दर्यीकरण निर्माण कार्य।
 16. वार्ड 04 में बिचखोली घर से तुर्शिल गदरे से रास्ता रैलिंग निर्माण।
 17. मर्दना तोक में ब्लूप्वाइट का सौन्दर्यीकरण एवं स्थल विकास कार्य।
 18. रा0का0उ0मा0 विद्यालय के सामने से ब्राहमणखोली पुलिया तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य।
 19. संसारी तोक में पूर्व में ठेकेदार राजेन्द्र सिंह की मृत्यु के पश्चात छुटा हुआ कार्य जिसमें रैलिंग निर्माण कार्य था उसे स्थानीय लोगों की आवश्यकता एवं नितान्त जनहित को देखते हुए पूनः नयी निविदा के द्वारा पूर्ण किया जायें (प्रस्ताव सं0-02 के क्रमांक 3 के अनुसार)

प्रस्ताव 3- अन्त में मा0 अध्यक्ष के द्वारा सभी सभासदों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

ह0/
पूजा देवी,
सभासद वार्ड 01 गांधीनगर।

-ह0/-
सरला देवी,
सभासद वार्ड 02 उदयपुर।

ह0/-
प्रदीप सिंह,
सभासद वार्ड 03 ओंकारेश्वर।

ह0/-
रविन्द्र सिंह,
सभासद वार्ड 04 भट्टेश्वर।

ह0/-
विजय सिंह,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत ऊखीमठ।
जनपद रुद्रप्रयाग।

कार्यालय नगर पंचायत ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग।

मा0 बोर्ड दिनांक 05/01/2021 को नगर पंचायत कार्यालय में मा0 अध्यक्ष श्री विजय सिंह की अध्यक्षता में मा0 बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया बैठक में उपस्थिति निम्नवत् है।


1. श्री विजय सिंह (अध्यक्ष)
2. श्रीमती पूजा देवी (सदस्य)
3. श्रीतमी सरला देवी (सदस्य)
4. श्री प्रदीप सिंह (सदस्य)
5. श्री रविन्द्र सिंह (सदस्य)
6. श्री राजन सेमथाल (मनोनित सदस्य)

प्रस्ताव 01- सत्य प्रथम मा0 अध्यक्ष जी के द्वारा सभी सभासदों का धन्यावाद किया गया। तथा पूर्व में प्रस्तावों को पढा गया एवं उनकी पुष्टि की गयी एवं सझमति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव 02- सदन में नये निर्माण कार्यों पर चर्चा की गयी एवं निम्न प्रस्ताव दिये गये।

1. नगर पंचायत ऊखीमठ के चुन्नी मुहल्ले में वारही मन्दिर स्थित सामुदायिक स्थान पर टिन शेड निर्माण व समुदाय के विकास हेतु अन्य सामग्री मा0 विधायक निधि से खरीकृत।
2. नगर पंचायत ऊखीमठ के मंगोली स्थित शिव मन्दिर का सौन्दर्यकरण कार्य मा0 विधायक निधि से।
3. नगर पंचायत ऊखीमठ, के भट्टेश्वर वार्ड 04 के संसारी तोक में पैदल मार्ग सुधारीकरण कार्य।
4. रौली देवी के घर से सामुदायिक भवन तक जल निकास नाली निर्माण कार्य।
5. ओंकारेश्वर वार्ड 03 में मर्दना तोक में सुरक्षात्मक कार्य एवं सोर्स सेग्रिगेशन शेड निर्माण कार्य।
6. उदयपुर वार्ड 02 में विभिन्न तोकों में सम्पर्क मार्ग का भरम्मत कार्य।
7. ओंकारेश्वर वार्ड 03 में मध्यमहेश्वर स्याली से रा0इ0का0 मार्ग तक सम्पर्क मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।

अतः महोदय, मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन प्रश्नगत के सम्बन्ध में मा0 बोर्ड नगर पंचायत ऊखीमठ, के द्वारा प्रस्तावित सेग्रिगेशन का निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव संख्या 02 के बिन्दु संख्या-5 में उल्लेखित है। जिसकी सत्यप्रति संलग्न है।


अधिराशी अधिकारी,
नगर पंचायत ऊखीमठ,
जनपद रुद्रप्रयाग।

पत्रांक- 111 / न0पं0 / निर्माण-कार्यादेश / 2021-22,

दिनांक- 05-07-2021.

श्री लक्ष्मी
ठेकेदार
नगर पंचायत ऊखीमठ।
जिला-रुद्रप्रयाग।

नगर पंचायत ऊखीमठ के द्वारा कार्य का नाम- ओंकारेश्वर वार्ड 03 में मर्दना तोड़ सुरक्षात्मक कार्य एवं सोर्स सेग्रिगेशन शेड निर्माण कार्य आंगणन राशि 11.36 लाख पर विभागीय दर से प्रतिशत कम दर पर कार्य करने हेतु दी गई आपकी न्यूनतम निविदा मा0 अध्यक्ष एवं निविदा समिति के स्वीकृति देने पर आपको निर्माण कार्य हेतु आपके द्वारा निर्माण कार्य का बौण्ड हस्ताक्षरित किये जाने/अनु हस्ताक्षरित किये जाने पर आपको उपरोक्त कार्य को प्रारम्भ कर पूर्ण करने हेतु मा0 अध्यक्ष महोदय निर्देशानुसार आपको इस शर्त के साथ अधिकृत किया जाता है, कि आप द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य : अग्रिमता के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में आगणन के अनुरूप इस प्रकार से प्रारम्भ कर गुणवत्ता पूर्वक करेंगे/प्रयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री आदि का परीक्षण भी करायेगे ताकि आप द्वारा किये गये निर्माण : के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहने पाये एवं कोई शिकायत प्राप्त न होने पाये।

अतः कार्य प्रारम्भ की लिखित सूचना देते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही कार्य स्थल फोटो खिचवाने के साथ ही कार्य स्थल का अवर अभियन्ता से मौका मुआयना करवाकर समस्त कार्य गुणवत्ता विशिष्टियों के साथ अवर अभियन्ता के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में तुरन्त प्रारम्भ करने की सूचना के साथ संलग्न कर कार्यालय को देंगे, तथा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कर, किये गये निर्माण कार्य के फोटो खिचवाकर कार्य पूर्ण करने की लिखित सूचना के साथ संलग्न कर कार्यालय को देंगे। निर्माण कार्य के दौरान स्वयं ही निर्माण कार्य कराये तथा समय-समय पर कार्य की जाँच भी कराते रहें। निर्माण कार्य का सत्यापन : कार्य की गुणवत्ता जाँच वार्ड सदस्य एवं सहायक अभियन्ता कराये जाने एवं कार्य सन्तोषजनक पाये जाने। निरीक्षण आख्या में भुगतान की संस्तुति प्राप्त होने पर ही बिल भुगतान की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। निम कार्ग की बिना एम0टी0/मापन के अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा तथा समय समय पर निर्गत शासनादेशो अनुसार व्यापकर, आयकर, जी0एस0टी0, रायल्टी, एवं अन्य समस्त करों की अदायगी का दायित्व आपका होगा कार्ग की गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की कमी पाये जाने एवं अन्य कमियों आदि की शिकायत के कारण भुगत आदि कार्यवाही में विलम्ब का पूर्ण दायित्व आपका होगा।

संलग्न-आंगणन/शौची।

अधिसासी अधिकारी,

नगर पंचायत ऊखीमठ, जिला-रुद्रप्रयाग।

2034
अध्यक्ष,

प्रतिलिपि:-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
- 2-उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ।
- 3-सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0 ऊखीमठ।
- 4-उपकोषाधिकारी, ऊखीमठ।
- 5-कनिष्ठ अभियन्ता, न0 पं0 ऊखीमठ को इस आशय से कि कृपया निर्माण कार्य का नियंत्रण निर्देशन करते हुए कार्य के संबंध में अवगत करना सुनिश्चित करें।
- 6- संबंधित पत्रावली।

अधिसासी अधिकारी,
नगर पंचायत ऊखीमठ।

Tracy

(10)

SCHEDULE OF RATES

SOR :- MORD
For Block 16 Ukhimath

Year :- 2019-20

Effective From :- 01-May-20

Sl. No.	Description	Rate	Unit
Chapter 11 - FOUNDATION			
11-1	Excavation for Structures Earth work in excavation for structures as per drawing and technical specifications Clause 305.1 including setting out, construction of shoring and bracing, removal of slumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50 m, dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material.		
11-1-1	Ordinary soil Upto 3 m depth	358.30	Cum
11-1-2	3 m to 5 m depth	425.50	Cum
11-1-3	Ordinary rock (not requiring blasting) Upto 3 m depth	447.90	Cum
11-1-4	Hard rock (requiring blasting) Upto 3 m depth including 1.5 m depth in hard rock	696.80	Cum
11-1-5	Hard rock (blasting prohibited) Upto 3 m depth including 1.5 m depth in hard rock	659.10	Cum
11-1-6	Marshy soil	671.90	Cum
11-2	Filling in foundation trenches as per drawing and technical specification Clause 305.3	2064.30	Cum
11-2-1	Sand filling	230.10	Cum
11-2-2	Earth filling (For marshy soil)		
11-3	Filling annular space around footing in rock as per technical specification Clause Rate as Per Item no. 11-4-2		
11-4	1203.4.3. P.C.C grade M 15 Nominal mix 1:2.5:5 Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203		
11-4-1	P.C.C grade M 10	6219.80	Cum
11-4-1-1	Nominal mix 1:3:3	6308.30	Cum
11-4-1-2	Nominal mix 1:3:3 (Hard mixing)		
11-4-2	P.C.C grade M 15	6022.40	Cum
11-4-2-1	Nominal mix (1:2.5:5)	6110.90	Cum
11-4-2-2	Nominal mix 1:2.5:5 (Hard mixing)		
11-4-3	P.C.C grade M 20	7084.50	Cum
11-4-3-1	Nominal mix 1:2:4	7173.00	Cum
11-4-3-2	Nominal mix 1:2:4 (Hard mixed)	8149.80	Cum
11-4-4	R.C.C grade M 20	8551.10	Cum
11-4-5	R.C.C grade M 25		
11-5	Brick masonry work in cement mortar in foundation complete excluding pointing and plastering as per drawing and technical specifications Clauses 600, 1202 & 1203		
11-5-1	Brick masonry in 1:3 cement mortar	7874.90	Cum
11-5-2	Brick masonry in 1:4 cement mortar	7634.90	Cum
11-5-3	Brick masonry in cement-lime-mortar (1:0.5:4.5)	8200.60	Cum

स्व.ग.कं-4

[[कार्यालय नगर पंचायत ऊखीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग]]

दिनांक 20/08/2023


दिनांक 01 अगस्त 2023

कार्यआदेशः

अन्नापूर्णा टैडसे नर्सरी
रायवाला देहशूना।

विषय नगर पंचायत ऊखीमठ में सेग्रिगेशन सेंटर का कूड़ा विक्रय करने के सम्बन्ध में।
जिसका सम्बन्धित विषयक नगर पंचायत ऊखीमठ के सेग्रिगेशन सेंटर का कूड़ा विक्रय
सेतु आप द्वारा प्रस्तुत कोटेशन में अन्य कोटेशन-दाताओं की तुलना में रुपये 9000/- मासिक
जब कि 108000/- अधिकतम पाये जाने के फलस्वरूप स्वीकार कर ली गयी है, एवं
आप द्वारा अनुबन्ध पत्र इस्ताक्षरित कर लिया गया है।

अतः आप इस पत्र प्राप्ति के तत्काल बाद निकाय क्षेत्रान्तर्गत सेग्रिगेशन सेंटर
में पृथक्कृत कूड़ा उठाना प्रारम्भ करें।


अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि--

1. अध्यक्ष महोदय, नगर पंचायत ऊखीमठ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यालय प्रति।

अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग।



Invoice

SELLER DETAILS:

Address: K R ENTERPRISES
HOUSE NO 2, LANE NO 4, ROOP NAGAR, BADRIPUR,
Dehradun, UTTARAKHAND, 248001
Email Id: k2enterprises4422@gmail.com
Contact No : 08279877274
GSTIN: 05ATRPL3249E1ZL

GeM Invoice No: GEM-47780732
GeM Invoice Date: 14-Sep-2024

Order No: GEMC-511687720011248
Order Date: 11-Sep-2024

SHIPPING TO:

Consignee Name: Ajay Kumar
Address: NAGAR PANCHAYAT UKHIMATH, DIST-
RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND Rudraprayag
UTTARAKHAND 246469

Contact No: 0135-4563888-
GSTIN: 05MRTO00771B1DG

BILL TO:

Buyer Name: Ajay Kumar , ABHINAYA KAUSHIK
Address: NAGAR PANCHAYAT UKHIMATH, DIST-
RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND Rudraprayag
UTTARAKHAND 246469 Urban Development Directorate of
Uttarakhand State Urban Development Authority
GSTIN: 05MRTO00771B1DG
Department: Urban Development Directorate of Uttarakhand
Office Zone: NAGAR PANCHAYAT UKHIMATH
Organisation: State Urban Development Authority

Seller Tax Invoice Number	Seller Tax Invoice Date	Dispatch Mode	Dispatch Date
103	14-Sep-2024	Manual	14-Sep-2024

Place of Supply	Place of Supply State (State/UT Code)	Supply Type	Consignee GSTIN Number
Consignee Location	Uttarakhand / 05	Intra-State	05MRTO00771B1DG

Delivery Instruction	Organic Waste Compost Machine
----------------------	-------------------------------

Product Description	HSN Code	Measurement Unit	Supplied Qty	Unit Price	Total Price inclusive all Taxes
Unbranded Fully Automatic Green Waste Reprocessor/Decomposition System		pieces	1	Rs. 999800.00	Rs. 999800.00
Taxable Amount				Rs. 0.00	
Rounding Off				Rs. 0.00	
Grand Total					Rs. 999800.00

I/We hereby declare that our maximum turn over during last three years is only Rs. 0 and hence we are not covered under the ambit of GST e-invoicing provisions. We do hereby declare that once the said provisions are made applicable to us, we shall issue the duly complied e-Invoice under GST Law.

All GST invoice or document issued by us shall be properly and timely reported under respective returns under GST by us in line


अधिकाारी
नगर पंचायत ऊखीमठ

टीपें एवं आज्ञारं

अधिकासी अधिकारी / अध्यक्ष महोदय,

कृपया वर्ष 2022-23 के तहत कार्यालय नगर पंचायत ऊखीमठ में पंद्रहवे वित्त आयोग / राज्य वित्त आयोग के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सूखे कूडे के उचित निरतारण के लिए, प्लारिटक कचरे के प्रबंधन हेतु कम्पेक्टर मशीन की आवश्यकता है। महोदय कम्पेक्टर मशीन को जैम पोर्टल द्वारा क्रय किए जाने की सहमति हेतु सेवा में प्रेषित हैं।

महोदय, सहमति की दशा में स्वीकृति प्रदान करने की कृपा कीजिएगा।

29/07/2023
- 1. 312/2023

अधिकासी अधिकारी / अध्यक्ष महोदय,
नगर पंचायत ऊखीमठ
जनपद ऊखीमठ

अध्यक्ष महोदय,
नगर पंचायत ऊखीमठ
जनपद ऊखीमठ

टीपे/आज्ञाए

अधिशाली अधिकारी/प्रशासक महोदय,

सादर अवगत कराना है कि, नगर पंचायत ऊखीमठ के क्षेत्रान्तर्गत कूड़ा निस्तारण भूमि का वर्तमान समय तक हस्तान्तरण नहीं हो पाया है। जिसके कारण गीले कूड़े का निस्तारण टोस अपशिष्ट प्रबन्धन 2016 के प्रावधान के अनुसार नहीं हो पा रहा है। जिस कारण स्वच्छता की दृष्टिगत जैविक कूड़े के निस्तारण हेतु प्रयुक्त सामग्री जैसे जैविक अपशिष्ट कंपोस्ट मशीन का क्रय जैम पोर्टल से किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः सहमति की दशा में स्वीकृति हस्ताक्षर करना चाहें।

1/

3/

नमनीका/आठवा पालत
का ले।
30/03/24

महोदय,

उक्त मशीन नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत कूड़ा निस्तारण

हेतु क्रय किया जाना जगहिन/लिकाम हिन में अति



आवश्यक है।


3/

दिगांडु/पुनरहित

पर्याप्त पर्याप्त


नगर पंचायत ऊखीमठ





आधिकारी अधिकारी
अगर प्रमाणित करनी है
ए एम एम





[Signature]
शुभिनारी शुभिनारी
नया संसाधन समाधान
2024-2025